

पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन (Environmental Impact Assessment E.I.A.)

परिचय (Introduction)

सम्पूर्ण विश्व के किसी भी क्षेत्र का पर्यावरण एक गतिशील सत्ता है जो उस क्षेत्र के वायुमण्डल, स्थलमण्डल, जीवमण्डल एवं जलमण्डल के मध्य जटिल पारस्परिक अन्तर्सम्बन्ध के समुच्चय को प्रदर्शित करता है। यह सदैव सतत परिवर्तन की स्थिति में रहता है। प्रकृति में ये परिवर्तन काफी धीरे-धीरे होते हैं। प्रकृति में ये परिवर्तन पर्यावरण के लिये अहितकर दृष्टिगोचर हो रहा है। वर्ष 1960 के बाद ऐसा अनुभव किया गया कि तीव्र विकास, खेती का विकास, औद्योगीकरण संसाधनों का दोहन इत्यादि का पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है। आर्थिक उन्नति एवं विकास जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाते हैं। परन्तु साथ ही ये पर्यावरण की गुणवत्ता पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं जो कि लम्बे समय में जीवन की गुणवत्ता पर अपना विपरीत प्रभाव डाल सकते हैं जिससे सभी विकास कार्यों का मूल उद्देश्य ही पूर्ण नहीं होगा। अतः विकास कार्यों की योजनाओं में पर्यावरण के विषय में समुचित विचार करने की परम आवश्यकता है। विकास कार्यों एवं पर्यावरण संरक्षण में संतुलन बनाये रखने की अत्यधिक आवश्यकता है। भारत सरकार ने संसाधनों की सुरक्षा एवं सामाजिक उत्थान को दृष्टिगत रखते हुए पर्यावरण एवं वन मन्त्रालय की स्थापना की। जिसके अन्तर्गत विभिन्न विकास परियोजनाओं एवं उद्योगों का पर्यावरण प्रभाव के मूल्यांकन का शुभारम्भ किया गया। पर्यावरण प्रभाव के मूल्यांकन हेतु उद्योगों के लिये स्थान का चयन, प्रयुक्त प्रौद्योगिकी तथा उत्सर्जन से निकलने वाले पदार्थों के उपचार की विधि इत्यादि का अध्ययन किया जाता है।

परिभाषा (Definition)

स्वच्छ एवं शुद्ध वातावरण सम्पूर्ण मानव एवं जीव-जन्तुओं के लिये अति आवश्यक है। पूर्व में जनसंख्या कम होने के कारण पदार्थ कम व्यर्थ होता था तथा जो कुछ पदार्थ अपशिष्ट हो जाता था, वह प्राकृतिक कारकों से उदासीन हो जाया करता था। जिस कारण मानव अन्य बीमारियों एवं परेशानियों से काफी दूर था। परन्तु आज पर्यावरण, जनसंख्या वृद्धि, वाहनों एवं उद्योगों से निकले जहरीले धुएँ, तीव्र ध्वनि, वनों की कटाई आदि से प्रदूषित होता जा रहा है। विकासात्मक गतिविधियों का पर्यावरण तत्वों के साथ सामंजस्य स्थापित करने की परम आवश्यकता है। अतः इन लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु पर्यावरणीय मूल्यांकन (Environmental Impact Assessment or E.I.A.) योजनाकारों के लिये उपलब्ध एक कारगर उपाय है। इसे निम्न प्रकार से परिभाषित किया जा सकता है—

“किसी विकास योजना के बारे में कोई बड़ा निर्णय लेने अथवा कोई आश्वासन देने से पूर्व उसके जैव भौतिक, सामाजिक एवं अन्य प्रासंगिक प्रभावों को पहचानने, भविष्यवाणी करने, आकलन करने तथा शमन करने की प्रक्रिया पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन कहलाती है।”

“The Process of indentifying, predicting, evaluating and mitigating the biophysical, social and other relevant effects of development proposals prior to major decisions being taken and commitment made is called as Environmental impact Assessment (E.I.A.).”

भारत में पर्यावरणीय प्रभाव का मूल्यांकन (Environmental Impact Assessment in India)

भारत में पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन का शुभारम्भ 1976-77 में तब हुआ था जब योजना आयोग ने विज्ञान एवं तकनीकी विभाग से नदी घाटी परियोजनाओं को पर्यावरणीय दृष्टिकोण से दृष्टिपात करने के लिए कहा गया। भारत सरकार ने 23 मई, 1986 को पर्यावरण सुरक्षा कानून लागू किया। कानूनी प्रक्रिया अपनाने के पश्चात 27 जनवरी, 1994 को एक अधिमूचना जारी की गई और इसके बाद 4 मई 1994, 10 अप्रैल 1997 एवं 27 जनवरी 2000 में इस कानून में संशोधन किये

गये, जिसमें 30 गतिविधियों के लिए पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन को प्रभावी एवं वैज्ञानिक बनाया गया। पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (E.I.A.) को नियन्त्रित करने वाला यह प्रमुख कानून है।

पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन के उद्देश्य

(Objectives of E.I.A.)

पर्यावरणीय प्रभाव के मूल्यांकन के निम्नलिखित उद्देश्य हैं—

- (1) विकास योजनाओं के प्रतिकूल सार्थक जैव भौतिक, सामाजिक एवं अन्य प्रासंगिक प्रभावों का पूर्व ज्ञान प्राप्त करना, उनसे बचना, उन्हें कम करना अथवा उनकी क्षतिपूर्ति करना।
- (2) पर्यावरणीय विचार विमर्श का स्पष्ट रूप से उल्लेख करना एवं उसे विकास योजनाओं में सम्मिलित करना।
- (3) प्रकृति के नियमों एवं पारिस्थितिक प्रक्रियाओं, जो प्राकृतिक क्रियाओं का निष्पादन करती हैं, की क्षमता एवं उत्पादकता को सुरक्षा प्रदान करना।
- (4) ऐसे विकास कार्यों को बढ़ावा देना जो स्थायी हों तथा प्रबन्धीय अवसरों एवं संसाधनों का सर्वश्रेष्ठ उपभोग करते हों।

पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन की विधियाँ

(Environmental Impact Assessment Methods)

(1) प्रारम्भिक छानबीन (Initial Screening)—लागू की जाने वाली विकास परियोजना के बारे में सर्वप्रथम यह तय करने की आवश्यकता होती है कि क्या वास्तव में इस परियोजना के पर्यावरण पर प्रभावों के मूल्यांकन की आवश्यकता है अथवा नहीं। इस प्रकार प्रारम्भिक छानबीन से हमें ऐसी परियोजनाओं की जानकारी मिल जाती है जो पर्यावरणीय गंभीर प्रभाव उत्पन्न नहीं करती हैं।

(2) तीव्र पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (Rapid Environmental Impact Assessment)—किसी परियोजना से पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने का आभास होने पर तीव्र पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन किया जाता है। यह कार्य निम्नलिखित चरणों में किया जाता है—

- (i) परियोजना के पर्यावरण पर मुख्य प्रभावों की पहचान करना।
- (ii) स्थानीय क्षेत्र अथवा सम्पूर्ण क्षेत्र पर परियोजना के प्रभावों का मूल्यांकन करना।
- (iii) मूल्य लाभ का विश्लेषण (Cost Benefit Analysis) शीघ्रता से करना।
- (iv) ऐसे विवादित विषयों की सूची तैयार करना जिनका समाधान नहीं हो सका है एवं जिनका विस्तार से परीक्षण करना आवश्यक है।

अतः तीव्र पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन किसी परियोजना के केवल उन प्रमुख विषयों की पहचान करता है जिन पर उपलब्ध संसाधनों के अनियन्त्रित व्यय से पर्यावरण प्रभावित हो रहा है। जिससे इन पर समुचित ध्यान दिया जा सके। अनुपयोगी विषयों को, जिन पर और अध्ययन की आवश्यकता नहीं है, को छोड़ दिया जाता है। इस प्रकार संसाधनों का सर्वोत्तम उपभोग करने में मदद मिलती है। इस प्रकार के मूल्यांकन में जनता, निजी संगठन एवं विशेषज्ञों से विचार-विमर्श करके अन्तिम निर्णय लिये जाते हैं तथा कभी-कभी मूल्यांकन हेतु वैज्ञानिक परीक्षण भी करने पड़ते हैं।

(3) विस्तृत, पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (Comprehensive Environmental Impact Assessment)—इस मूल्यांकन के अन्तर्गत निम्न प्रकार की सूचनाएँ आकलित एवं संग्रहित की जाती हैं—

- (i) बेस लाइन डाटा (Base Line Data)
- (ii) प्रभावों की पहचान (Impact Identification)
- (iii) प्रभावों की भविष्यवाणी (Impact Prediction)
- (iv) प्रभावों का मूल्यांकन (Evaluation of Impact)

(v) योजनाओं का प्रबोधन एवं न्यूनीकरण उपाय (Mitigative measures and monitoring plans)

(vi) निर्णायकों एवं समाज को सूचित करना (Informing the society and decision makers)

(i) बेस लाइन डाटा (Base Line Data)—परियोजना की विवेचना, प्रकृति तथा क्षेत्र में होने वाले क्रियाकलापों की जानकारी एकत्रित करना ही मूल सूचनाएँ कहलाती हैं। बेस लाइन डाटा के अन्तर्गत वायुमण्डल, जलमण्डल, स्थलमण्डल एवं जीवमण्डल की समुचित जानकारी भी सम्मिलित होती है। जनसंख्या घनत्व, उम्र एवं लिंग वितरण, जातीय समूह, बीमारी एवं मृत्यु दर, शिक्षा का स्तर आदि की सूचना विकास कार्यों के समाज पर प्रभावों के मूल्यांकन के लिये बहुत महत्वपूर्ण हैं।

(ii) प्रभावों की भविष्यवाणी (Impact Prediction)—इस स्तर पर परियोजना के चालू होने पर उस क्षेत्र पर पड़ने वाले प्रभावों एवं द्वितीयक प्रभावों का परीक्षण किया जाता है। जैसे—परियोजना के निस्स्राव (Effluent) को किसी समीपस्थ जल धारा में मिश्रित करने से पेयजल की गुणवत्ता यदि खराब हो जाए तो इसका द्वितीयक प्रभाव यह होगा कि इस दूषित जल में मछलियों का उत्पादन घट जायेगा जो उस क्षेत्र के मछुआरों को आर्थिक हानि पहुँचायेगा। इसका परिणाम यह होगा कि उस क्षेत्र के मछुआरे किसी दूसरे स्थान को पलायन कर जायेंगे या अपनी जीविका के किसी अन्य साधन को अपना लेंगे। जिससे उस क्षेत्र में अपराधों की संख्या बढ़ सकती है।

(iii) प्रभावों की पहचान (Impact Identification)—इस स्तर पर विश्लेषण किया जाता है कि क्या होगा जब परियोजना क्रियान्वयन की स्थिति में पहुँच जायेगी? ऐसे प्रश्नों का उत्तर प्रभावों की पहचान से प्राप्त होता है। परियोजना चालू हो जाने पर सम्भावित परिवर्तनों की सूची पहले से ही तैयार कर ली जाती है। जैसे आस-पास की वायु की गुणवत्ता में परिवर्तन, जल एवं मृदा गुणों में परिवर्तन, ध्वनिस्तर, जीव-जन्तुओं की प्रजातियाँ, जंगली जानवर, सामाजिक एवं सांस्कृतिक पद्धतियाँ, रोजगार का स्तर आदि। इसके अतिरिक्त धुएँ के उत्सर्जन, जल की खपत तथा निस्स्राव के विसर्जन के स्रोतों की भी पहचान करना जरूरी होता है।

(iv) प्रभावों का मूल्यांकन (Impact Evaluation)—इससे हमें सम्भावित परिवर्तनों की वास्तविकता के विषय का बोध होता है अर्थात् “क्या परिवर्तन वास्तव में होंगे?” यदि परियोजना को ऐसे स्थान पर क्रियान्वित किया जाए जिसके आस-पास का क्षेत्र बहुत ही कम जैविक बस्ती वाला है तथा जहाँ पर बहुत कम आबादी निवास करती हो, तो ऐसे क्षेत्र में परिवर्तन में होने वाले थोड़े परिवर्तनों को छोड़ा जा सकता है; यद्यपि सघन आबादी वाले क्षेत्र में यदि परियोजना क्रियान्वित हो तो क्षेत्र में होने वाले अल्प प्रभावों को नगण्य नहीं माना जा सकता है। बल्कि इनको कम करने के समुचित उपाय करने चाहिये अथवा परियोजना को किसी अन्य उचित स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया जाना चाहिए।

(v) योजनाओं का प्रबोधन एवं न्यूनीकरण उपाय (Mitigative measures and monitoring plans)—यदि विकास कार्यों के सार्थक अथवा प्रभावी परिवर्तन हैं तब प्रभावों को कम करने के उपायों (mitigating measures) का परीक्षण करना पड़ता है। अतः सार्थक प्रतिकूल प्रभावों को रोकने, कम करने, छुटकारा पाने अथवा प्रतिपूर्ति करने के उपाय प्रस्तावित किये जा सकते हैं। शमन अथवा न्यूनीकरण के संभावित उपाय निम्न प्रकार हो सकते हैं—

(i) क्षतिग्रस्त संसाधनों को पुनः स्थापित करना, प्रभावितों को आर्थिक सहायता देना, अन्य विषयों में छूट प्रदान करना एवं सामाजिक जीवन शैली में सुधार करना।

(ii) प्रदूषण नियन्त्रण के उपाय, अपशिष्ट जल उपचार (waste treatment) एवं प्रबोधन (monitoring)।

(iii) परियोजना स्थल, मार्ग, कच्चा माल, संचालन विधि, प्रक्रम, निस्तारण मार्ग (disposal routes) एवं अभियांत्रिकी अभिकल्पना में परिवर्तन करना।

उपरोक्त किये गये उपायों की एक कीमत होती है। इस कीमत (मूल्य) को उत्पाद की कीमत (Cost) में सम्मिलित कर दिया जाता है। विभिन्न उपायों को अपनाकर प्रोजेक्ट की पृथक-पृथक लागत की गणना कर ली जाती है। इससे निर्णायकों को परियोजना के विषय में अन्तिम निर्णय लेने में काफी आसानी होती है।

(vi) निर्णायकों एवं समाज को सूचित करना (Informing the society and decision makers)—पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन (E.I.A.) की उपलब्धियों का अभिलेखीकरण (Documentation) तथा संप्रेषण (Communication) एक महत्वपूर्ण

कार्य है। प्रौद्योगिक रूप से (Technically) अच्छी परियोजनायें भी एक खराब अभिलेखीकरण एवं खराब संप्रेषण के कारण निर्णायकों एवं समाज को सन्तुष्ट नहीं कर पाती हैं। अतः किसी परियोजना के लिए आवश्यक है कि उसका अभिलेखीकरण एवं संप्रेषण अति उत्तम होने चाहिए। संप्रेषण में एक बात ध्यान देने योग्य है कि निर्णायक एवं समाज आदि अप्राविधिक लोगों में से है तो परियोजना रिपोर्ट में प्राविधिक आँकड़े (Technical data) हटा देने चाहिए। परियोजना के महत्व पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए ताकि परियोजना कारगर सिद्ध हो सके।

पर्यावरण प्रबन्ध (Environmental Management)

पर्यावरण एक जटिल प्रक्रिया है। पर्यावरण प्रबन्ध द्वारा मुख्यतः पर्यावरणीय प्रक्रियाओं एवं जैव प्रणालियों का अनुरक्षण, जैव विविधता की रक्षा, पर्यावरणीय प्रदूषण का नियन्त्रण, जनसंख्या स्थिरीकरण, व्यर्थ पदार्थों का पुनः उपयोग, भूमि अपघटन का नियन्त्रण तथा जैव प्रजातियों एवं पर्यावरणीय तन्त्रों का सतत् उपयोग इत्यादि कार्य सम्पन्न होते हैं। प्रबन्ध का अर्थ है विविध वैकल्पिक सुझावों में से जागरूकता, पूर्ण चयन जिसमें मान्य एवं वांछित लक्ष्यों के प्रति वचनबद्धता हो प्रबन्ध के अन्तर्गत वास्तविक अल्पकालिक उद्देश्यों की पूर्ति हेतु निर्मित रणनीति या रणनीतियों की सुविचारित स्वीकृति को सम्मिलित किया जाता है। इसमें दीर्घकालीन चयनों के संरक्षण के लिये पर्याप्त लचीलापन होना चाहिये।

पर्यावरण प्रबन्ध के उद्देश्य (Objectives of Environmental Management)

व्यक्ति अथवा समाज की वरीयताओं तथा आवश्यकताओं के अनुसार पर्यावरण प्रबन्ध के अनेक प्रकार के उद्देश्य होते हैं। सामान्यतः पर्यावरण प्रबन्ध का मुख्य उद्देश्य पर्यावरण की गुणवत्ता को बनाये रखना है। पर्यावरण गुणवत्ता का विश्लेषण भिन्न-भिन्न व्यक्ति भिन्न-भिन्न प्रकार से करते हैं। पर्यावरण प्रबन्ध के मुख्य उद्देश्यों को निम्न प्रकार से व्यक्त किया जा सकता है—

- (1) सौन्दर्य प्रसाधनों, मनोरंजन तथा आवश्यकताओं की पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु पर्यावरण की गुणवत्ता का संरक्षण करना।
- (2) उत्पादन और नवीनीकरण के संतुलित चक्र के माध्यम से उपयोगी वनस्पतियों, पदार्थों के अनवरत उत्पादन को सुनिश्चित करना।

पर्यावरणीय प्रबन्ध के महत्वपूर्ण पहलू

(Important Aspects of Environmental Management)

पर्यावरण प्रबन्ध के अन्तर्गत निम्नलिखित प्रकार के कार्य आते हैं—

1. पर्यावरण प्रदूषण पर नियन्त्रण।
2. पर्यावरणीय प्रक्रियाओं एवं जैव प्रणालियों का अनुरक्षण।
3. भूमि अपघटन का नियन्त्रण।
4. समन्वित भूमि उपयोग।
5. व्यर्थ पदार्थों का पुनः उपयोग।
6. जैव विविधता की रक्षा।
7. जनसंख्या स्थिरीकरण।
8. वनों के विनाश एवं रेगिस्तान की वृद्धि की रोकथाम।
9. जैव प्रजातियों तथा पर्यावरणीय तन्त्रों का सतत उपयोग।
10. पर्यावरण संगत मानव बस्तियों का निर्माण।
11. पर्यावरण शिक्षा, जागरूकता व अधिनियम।

पर्यावरण प्रबन्ध के अंग

(Parts of Environmental Management)

पर्यावरण प्रबन्ध को निम्न वर्गों में विभाजित किया जा सकता है—

- (i) पर्यावरणीय नियोजन (Environmental Planning)
- (ii) पर्यावरणीय स्थिति का आकलन (Environmental status evaluation)
- (iii) पर्यावरणीय प्रभाव मूल्यांकन (Environmental impact assessment)
- (iv) पर्यावरणीय अधिनियम एवं प्रशासन (Environmental acts and administration)

पर्यावरण प्रबन्ध पद्धति

(Environmental Management System) (E.M.S.) (ISO - 14000)

यद्यपि संस्थाएँ पर्यावरण का ही अंग होती हैं फिर भी वे पर्यावरण पर प्रभाव छोड़ती हैं। प्रत्येक व्यवसाय अपने-अपने प्रकार से पर्यावरण को प्रभावित करता है। पर्यावरण प्रबन्ध पद्धति का मुख्य उद्देश्य संस्थानों को पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभावों को नियंत्रित करने तथा कम करने के लिये मार्ग दर्शन देना है।

पर्यावरण प्रबन्ध पद्धति का विकास

(Evolution of E.M.S.)

विश्व के विभिन्न भागों में हुई दुर्घटनाओं एवं पर्यावरण जागरूकता के कारण विश्व स्तर पर प्रदूषण कम करने की आवश्यकता अनुभव की गयी। वर्ष 1993 में मॉन्ट्रियल कान्फ्रेंस (Montreal Conference) आयोजित की गयी जिसमें वर्ष 2000 तक क्लोरोफ्लोरो कार्बन (CFC) गैस की मात्रा को कम करने का निर्णय लिया गया।

विभिन्न प्रकार के प्रदूषकों का मुख्य प्रभाव निम्न प्रकार है—

1. जंगलों की समाप्ति
2. ओजोन पर्त का नष्ट होना
3. अम्ल वर्षा एवं बंजर भूमि का बढ़ना
4. पादप गृह प्रभाव

प्रदूषण नियन्त्रण के उद्देश्य से बहुत से अधिनियम समय-समय पर बनाये गये हैं। अन्तर्राष्ट्रीय मानक संस्थान (International Standard Organisation - ISO) ने एक नीतिगत सलाहकार समिति (Strategic advisory group on Environment - 'SAGE') स्थापित की। इस समिति ने वर्ष 1995 में प्रकाशित किया।

ISO - 14001 (प्रमाणीकरण की आवश्यकता)

किसी भी संस्था को उक्त प्रमाण पत्र लेने की आवश्यकता निम्न कारणों से होती है—

1. बीमा सम्बन्धी खतरों में कमी।
2. ग्रीन कापेरिट इमेज को उभार कर शेयर प्राप्त करना।
3. गिरफ्तारी अथवा अभियोग के खतरे में कमी।
4. कीमत घटना।
5. अधिक नियमानुसार निवेश करना।

विभिन्न अनुच्छेद (Different Clauses)

(1) सामान्य अनुच्छेद (General Clause)—सामान्य अनुच्छेद में पर्यावरण प्रबन्ध पद्धतियों के उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। इसके अन्तर्गत स्थापना, मासिक प्रगति मीटिंग, सुधार कार्य, मरम्मत, सुधार कार्य एवं प्रबन्ध सुधार आदि के विषय में जानकारी उपलब्ध करायी गयी है।

(2) योजना अनुच्छेद (Planning Clause)—योजना अनुच्छेद एक निर्देशक के रूप में कार्य करता है। इसमें निम्नलिखित उप अनुच्छेद हैं—

- (i) कानूनी एवं अन्य आवश्यकतायें
- (ii) पर्यावरणीय मामले
- (iii) पर्यावरण प्रबन्ध कार्यक्रम
- (iv) उद्देश्य एवं लक्ष्य

(3) नीतिगत अनुच्छेद (Policy Clause)—परिस्थितियों को अपने अनुसार चलाने में सक्षम होने हेतु हमें इस प्रमाण पत्र की आवश्यकता होती है। इससे निम्नलिखित संस्थाएँ आकर्षित होती हैं—

- (i) संस्थान के आस-पास का समाज
- (ii) बीमा कम्पनियाँ
- (iii) शेयर धारक
- (iv) कर्मचारी वर्ग
- (v) संस्थान उत्पाद के उपभोक्ता
- (vi) वित्तीय संस्थाएँ जैसे बैंक आदि।

(4) प्रबन्ध सुधार अनुच्छेद (Management Review Clause)—इस अनुच्छेद में किसी संस्थान की प्रगति को मापने एवं उसका आकलन करने में सहायक होने वाली बातों पर विचार किया जाता है। इस कार्य को प्रत्येक तिमाही या छमाही में पूर्ण कर लेना चाहिए।

(5) उपअनुच्छेदों को लागू करना (Implimentation of Sub-Clause)—इस कार्य को निम्नलिखित प्रकार से किया जाता है—

- (i) प्रशिक्षण एवं जागरूकता द्वारा
- (ii) पर्यावरण प्रबन्ध विधियों के अभिलेखीकरण द्वारा
- (iii) आकस्मिक घटनाओं हेतु पूर्व तैयारी द्वारा
- (iv) संचालन पर नियन्त्रण द्वारा
- (v) संप्रेषण द्वारा
- (vi) अभिलेखों पर नियन्त्रण द्वारा
- (vi) ढाँचा एवं जिम्मेदारी द्वारा

(6) जाँच एवं सुधार कार्य उपअनुच्छेद (Checking and Corrective Action Sub-Clause)—इस उपअनुच्छेद में निम्नलिखित का उल्लेख किया गया है—

- (i) अभिलेख (Records)
- (ii) प्रबोधन एवं मापन (Monitoring and Measurement)
- (iii) पर्यावरण प्रबन्ध पद्धतियों का लेखा परीक्षण (Audit)
- (iv) सुधार तथा नियन्त्रण कार्यों की जाँच करना।

ISO - 14001 लागू करना (Implimentation of ISO - 14001)

ISO-14001 लागू कराने के लिये किसी संस्थान को सर्वप्रथम आरम्भिक पर्यावरण पुनर्निरीक्षण (Preparatory environmental review) (P.E.R.) तैयार कर लेना चाहिये, इसके अन्तर्गत निम्नलिखित चरण आते हैं—

- (i) पर्यावरण परिस्थितियों का सार्थक मूल्यांकन (Evaluation of Significant Environmental Aspect)
- (ii) वर्तमान पर्यावरणीय उपायों एवं विधियों का परीक्षण (Examination of Existing Environmental Practices and Precedures)
- (iii) पूर्ववर्ती घटनाओं का आकलन
- (iv) नियम एवं कानून का अनुपालन

यह रिपोर्ट पर्यावरण प्रबन्ध पद्धति (EMS) के सभी ज्वलन्त मुद्दों को उजागर करती है।